

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 162/2021

दिनांक : 11-11-2021

## निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....हरिप्रसाद.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....बेगाराम.....  
 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....बीनासर.....पटवार मण्डल.....चूरु.....  
 तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2071-2074...के खाता संख्या.....151.....में  
 खातेदार/मैस खातेदार का नाम/जाति.....हरिराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
 जिसे सम्मानजनक रूप से.....हरिप्रसाद.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
 पत्र की जांच पटवारी हल्का.....बीनासर.....से करवाने पर पटवारी ने.....हरिराम.....के  
 बजाय.....हरिप्रसाद.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....हरिराम.....  
 के बजाय.....हरिप्रसाद.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....बीनासर.....  
 के खाता संख्या.....151.....में खातेदार/मैस खातेदार का नाम/जाति.....हरिराम.....  
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....हरिप्रसाद.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
 चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



162/2021/1687  
 11/11/2021

11/11/21  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 (Land Record Officer)  
 चूरु

